

भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या : 378

दिनांक 18 जुलाई, 2019 / 27 आषाढ़, 1941 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

निःशुल्क वाई-फाई सुविधा

\* 378. श्री पी.के.कुलहालिकुट्टी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कालीकट अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन पर यात्रियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क वाई-फाई सुविधा कार्यान्वित कर रहा है/कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है क्योंकि वर्तमान में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है/ठीक से काम नहीं कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो सेवा प्रदाता के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) तथा (ख) : विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

\*\*\*\*\*

"निःशुल्क वाई-फाई सुविधा" के संबंध में दिनांक 18.07.2019 के लोक सभा मौखिक (\*) प्रश्न सं. 378 के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) तथा (ख): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भाविप्रा) कालीकट अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल के प्रस्थान साइड में तथा सम्पूर्ण अंतर्देशीय टर्मिनल (आगमन और प्रस्थान दोनों) में निःशुल्क वाई-आई सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यह वाई-फाई सुविधा, मैसर्स फायरफ्लाई नेटवर्कस नामक सेवा प्रदाता के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। कालीकट हवाईअड्डे पर मुहैया करवाई गई वाई फाई सेवा, सुचारु रूप से कार्य कर रही है और इससे यात्री डेटा सीमा 200 एमबी या 45 मिनट, इनमें से जो भी पहले हो तक के लिए निःशुल्क वाई-फाई सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल की आगमन साइड में भी 45 मिनट तक निःशुल्क वाई-फाई सेवा मुहैया कराने की योजना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है और इस सुविधा के आरंभ होने की संभावित तिथि 31.08.2019 है।

\*\*\*\*\*